बिहार सरकार
कृषि विभाग

कृषि निदेशालय, बिहार
(राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग)

ई–मेल : rkvy.bihar@gmail.com वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in
दूरभाष/फैक्स सं0 : 0612-2204388

पत्र सं०–रा०कृ०वि०यो०को०–535/2014 5449 / कृ०, पटना, दिनांक 02 दिसम्बर, 2014

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, कृषि, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी (सभी)।
जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)।
परियोजना निदेशक, आत्मा (सभी)।

विषय :– **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में मक्का तथा दलहन के अर्न्तवर्त्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम में खरपतवारनाशी के लिए एट्राजीन का प्रयोग नहीं करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014–15 अन्तर्गत मक्का तथा दलहन के अर्न्तवर्त्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित कराया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के प्रत्यक्षण मॉडल में खरपतवार नियंत्रण हेतु 1 किलोग्राम प्रति एकड़ एट्राजीन प्रयोग करने का प्रावधान किया गया है।

मक्का के साथ मटर/राजमा की अर्न्तवर्ती खेती में एट्राजीन प्रयोग के संबंध में निदेशक, अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर से सुझाव की माँग की गयी थी। उनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि **किसी भी दलहनी अन्वर्तवर्ती फसल में एट्राजीन का प्रयोग घातक हो सकता है। ज्ञातव्य हो कि इस तरह के शाकनाशी का प्रभाव छः माह तक रह सकता है।**

विदित हो कि दिनांक–27.11.2014 को ई–मेल के माध्यम से सभी जिला कृषि पदाधिकारी को यह सूचित किया गया है कि एट्राजीन के प्रयोग से दलहनी फसल को नुकसान होने की संभावना है। एट्राजीन का प्रयोग सिर्फ मक्का की खेती में किया जाय। इस तरह की सूचना सभी लाभान्वित कृषकों को अपने स्तर से दिया जाय।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त सुझाव को अपने स्तर से किसानों के बीच तुरंत प्रचारित करवाया जाय।

विश्वासभाजन

(धर्मेन्द्र सिंह)
निदेशक, कृषि, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5449 /कृ०, पटना दिनांक 02 दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक (शष्य), सभी प्रमंडल/सभी जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त सुझाव को अपने स्तर से भी प्रचारित किया जाय।/आई0टी प्रबंधक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

निदेशक, कृषि, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5449 /कृ०, पटना दिनांक 02 दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

निदेशक, कृषि
बिहार, पटना।